>

Title: Issue regarding the Seeds Bill.

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): सभापति महोदय, आपने शून्य प्रहर में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखण्ड में उड़द और तिल की बड़े पैमाने पर खेती की गयी, लेकिन फसलों में दाने नहीं निकलने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को क्षति हुई। कुछ ऐसे लोग इसकी क्षतिपूर्ति न होने के कारण आत्महत्या करने पर विवश हुए और ऐसे चार लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में सरकार ने जो वादे किए, आश्वासन दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे आश्वासन मात्र कोरे आश्वासन ही रह गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय बीज निगम, मोनसैंटो, पायनियर, हाईब्रीड, मायको जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के बीज भी अक्सर बंजर निकल रहे हैं, उनमें या तो पौधा नहीं निकलता है या पौधा निकलने के बाद दाना नहीं निकलता है। सरकार द्वारा इन दोषी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, न ही किसान को उन दोषी कंपनियों से क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है। विवादित बीज विधेयक, 2010 किसानों की मांग को पूरा नहीं करता। इस बिल में बीज कंपनियों के प्रति नरम रुख अपनाया गया है और किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। यह बिल पूर्णतः बीज कंपनियों के पक्ष में है। मोनसैंटो ट्रम्पोर्ट सिंगेरा ने यहां अपनी जड़ें जमा ली हैं। साथ ही 500 कंपनियां भारत में आ रही हैं, जो बड़ी संख्या में हाइब्रिड बीजों के नाम पर घटिया बीज बेचकर किसानों को मरने पर मजबूर कर रही हैं। नए विधेयक में बीजों की शुद्धता एवं उर्वरता को मानकों के अनुरूप न रहने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन क्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति के सहयोग से किया जाएगा जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित होगा। यह बिल्कुल गलत है। जब बीज उपजाऊ नहीं होता है, उसमें दाना नहीं बनता है, तो किसान बर्बाद हो जाता है। नुकसान की क्षतिपूर्ति महज बीजों के दाम से नहीं हो सकती है। जरूरत नए बीज दायित्व विधेयक की है जिसमें फसल बर्बाद होने पर न्यूनतम आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए। नए बिल में यह प्रावधान हो कि बीजों की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए, किसानों को उचित दाम पर बीज मिलना चाहिए, जो कंपनियां घटिया बीज बेच रही हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और पूरी फसल नष्ट होने पर बीज कंपनी द्वारा पूरी फसल की कीमत के बराबर जुर्माना दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

Now, Shri S.S. Ramasubbu.